आबोती बनाम ज्ञानचन्द मु.नं. 54/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.11.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/12/24 को पेश हो।	
5/12/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/12/24 को पेश हो।	
17-12-24	पत्रावली पेश। [illegible] अधिकारी [illegible] होने से [illegible] पत्रावली [illegible] तिथि 19-12-24 को पेश हो।	
19/12/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट की [illegible] स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	रास्ते के बदले भूमि देने व रास्ते में ट्रैक्टर गाड़ी व तारबन्दी करने बाबत राजीनामा है। लालचन्द राजेन्द्र कुमार (पुत्र)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54 / 2024

1 भागोती देवी पुत्री चुन्नीलाल उम्र वर्ष जाति मेघवंशी (बलाई) निवासिनी ग्राम हर्ष तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लालचन्द पुत्र हीरालाल
2 जुगल किशोर पुत्र हीरालाल
3 गनी देवी पत्नी हीरालाल
समस्त जाति खटीक निवासीगण वार्ड नम्बर 65 जगमालपुरा रोड़ सीकर।
4 कुरड़ी देवी पुत्री पूर्णमल उर्फ पुराराम
5 मोहनी देवी पुत्री पूर्णमल उर्फ पुराराम
6 नेमीचन्द पुत्र देबूराम
7 मूलचन्द पुत्र देबूराम
8 श्यामलाल पुत्र देबूराम
9 सुप्यार बेवा देबूराम
10 चावली पत्नी केशरराम
11 किशनलाल पुत्र केशरराम
12 बनवारी पुत्र केशरराम
13 राजू पुत्री केशरराम
14 मंजू पुत्री केशरराम
15 मुन्नी पुत्री केशरराम
16 श्रवणी पुत्री केशरराम
17 गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र चुन्नीलाल
18 बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल
समस्त जाति मेघवंशी (बलाई) निवासीगण ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आरएएस प्रार्थना पत्र संख्या 06/2020 उनवानी हीरालाल बनाम कुरड़ी देवी आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 16.01.2023

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक आवेदन अ.धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 770, 771, वाके ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज हीरालाल द्वारा विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 03.01.2020 को अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी हीरालाल बनाम कुरड़ी देवी आदि बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना तथा अपीलान्ट की मृतक माता दाखा पत्नी चुन्नीलाल जिसका देहान्त अपीलाधीन आवेदन दायरी के काफी समय पूर्व ही दिनांक 13.08.2020 को हो चुका है को भी अन्य पक्षकारान के साथ पक्षकार संयोजित करते हुए प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन आवेदन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज हीरालाल विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आवेदन के जरिए इस आशय के अनुतोष की मांग की गई कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 771 तन ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर में आने जाने के लिए अनावेदकगण संख्या 1 ता 7 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1810/772 व 1811/772, 1812/772 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे मौजूदा पगडण्डी को 12 फीट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे और उसकी एवज में नियमानुसार कीमत अनावेदकगण को आवेदक से दिलवाई जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज हीरालाल द्वारा प्रस्तुत किए गए अपीलाधीन आवेदन में उसके द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 771 में आवागमन हेतु भूमियां खसरा नम्बर 1810/772, 1811/772, 1812/772 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे राजस्व रिकार्ड में अंकित पगडण्डी मौके पर मौजूद होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए उसी स्थान पर 12 फीट चौड़ाई के रास्ते की मांग अपीलाधीन आवेदन में की गई थी। भूमि खसरा नम्बर 773 में से रास्ता की मांग नहीं की गई थी। अपीलाधीन आवेदन के अप्रार्थी संख्या 9 केशरराम जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 16 का पूर्वज है का देहान्त अपीलाधीन आवेदन के विचारण के दौरान ही हो चुका था परन्तु अपीलाधीन आवेदन के विचारण के दौरान केशरराम के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने निमित कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा केशरराम मृत व्यक्ति के खिलाफ ही अपीलाधीन आदेश जो कि प्रारम्भतः ही शून्यता की श्रेणी में आता है पारित कर दिया गया जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

योग्य नहीं होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अपीलाधीन आवेदन में भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाया गया होने के कारण अपीलाधीन आवेदन प्रथम दृष्टया आवश्यक पक्षकारों के अभाव में चलने योग्य नहीं था। अपीलाधीन प्रकरण के समस्त पक्षकारान की तामील निमित कोई आदेश ही पारित नहीं किये गये तथा न ही हाजिर पक्षकारान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने निमित कोई आदेश पारित किया गया। फिर भी एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश प्रकियात्मक विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जिस तहसीलदार जी की रिपोर्ट दिनांकित 05.01.2023 के आधार पर पारित किया गया है वह विधि एवं नियम विरूद्ध है तथा वास्तविक तथ्यों के विपरित एकपक्षीय रिपोर्ट है जिसे तैयार करने से पूर्व नियम 67 से 70 की कोई पालना नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उक्त रिपोर्ट का विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 एवं उनके पूर्वज हीरालाल द्वारा अपीलाधीन आवेदन में जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया। बल्कि उसकी मृतक माता दाख जिसका देहान्त अपीलाधीन आवेदन दायरी के काफी समय पूर्व ही दिनांक 13.08.2012 को ही हो चुका था को पक्षकार बनाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। जबकि अपीलांट अपनी मृतक माता दाखा की प्रथम श्रेणी वारिसान के रूप में अपीलाधीन आवेदन दायरी के पूर्व से ही अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 773 पर बहैसियत उत्तराधिकारिणी अपनी माता के स्थान पर काबिज काश्त चली आ रही है। भूमि खसरा नम्बर 773 में से अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने निमित पारित आदेश से अपीलांट के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है। इस कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत इस न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय की पूर्वानुगति से प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में अलग से भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी से अंदर मियाद अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

धारा 5 क आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि रिपोर्ट तहसीलदार सीकर से यह जाहिर होता है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुत्तम दुरी भी प्रस्तावित रास्ते की ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावाली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि रिपोर्ट तहसीलदार सीकर से यह जाहिर होता है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुत्तम दुरी भी प्रस्तावित रास्ते की ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने का भी विकल्प आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में पारित किया है। इस न्यायालय के समक्ष आवेदनकर्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में दिये गये रास्ते के एवज में प्रतिफल में डीएलसी की दूगूनी राशि का आदेश अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रखा जाता है अर्थात विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से दिया गया रास्ते का आदेश एवं प्रतिफल में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर